4/2006

मांगीलाल (मृतक) बनाम सुरेश शर्मा वगै० जरिये वारिसान अमरचन्द वगै०

2006/00002

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20-06-22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 11.07.2022 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	
11-07-22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का गौर किया। जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील 90 (बी) (7) के तहत इस न्यायालय में पेश की है लेकिन 90 (बी) (1) अथवा (3) के तहत कोई आदेश सलंग्न नहीं किया गया है। अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 90(बी)(7) सपठित धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नियमन प्रकरण नगर विकास न्यास भीलवाडा बाबत आराजी खसरा नम्बर 4019 स्थित ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश पट्टे के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस स्थिति में यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है मिसिल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner